उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-08/2017/एस-2-366/दस-2017-88क(27)/2015

लखनऊ :: दिनॉक:: 01 मार्च, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को जनहित में उनके वर्तमान पद एवं स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में अंकित पद व स्थान पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान, जहाँ स्थानान्तरित करके तैनात किया गया
1	2	3
1	श्री धर्म नारायण उपाध्याय वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।	सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2	श्री रिजवान अहमद, वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रतीक्षारत/सम्बद्ध, कार्यालय निदेशक कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने वर्तमान पद व स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त आदेश, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के पत्र संख्या-1950/सीईओ-1-10/1-2017टी0सी0-8 दिनॉक 28 फरवरी, 2017 के माध्यम से प्राप्त भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से निर्गत किया जा रहा है।

4- स्थानान्तरित अधिकारियों का जो भी अगले माह का वेतन होगा, वह उसकी पूर्व तैनाती के स्थान से आहरित नहीं होगा।

शिव गोपाल सिंह

अनु सचिव।

<u>संख्या-08/2017/ एस-2-366(1)/दस-2017,तददिनॉक।</u>

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/ ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त/सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- मुख्य कोषाधिकारी, (जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट)लखनऊ।
7- संबंधित अधिकारीगण।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।